



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2879/2026

सुलेखचंद

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: धीरज कुमार पांडे

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए., विकास चौहान

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री विकास चौहान को सुना गया और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।
2. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के अन्तर्गत अभिलिखित किए गए अपने कथनों में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शादी का झूठा वादा करके आवेदक ने कई बार उसके साथ यौन संबंध बनाए, जिसके बाद, उसने उससे शादी करने से अस्वीकार कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि पीड़िता लगभग 26 वर्ष की वयस्क महिला है। अभियोजन पक्ष के पूरे बयान से यह प्रतीत होता है कि पीड़िता का आवेदक के साथ संबंध था और उनके बीच जो भी यौन संबंध बने वे सहमति से थे, इसलिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 लागू नहीं होती क्योंकि

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उनका संबंध लगभग तीन साल से अधिक समय से था और पीड़िता ने इस संबंध में पहले कोई शिकायत नहीं की है, इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को दुर्भावनापूर्ण आशय और गुप्त उद्देश्य से झूठे और निराधार आरोपों के साथ इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता सिद्ध करने हेतु कई अन्य तर्कों भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है जिनके अनुसार, अधिवक्ता ने बताया कि उन्हीं के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधिवत सहयोग करने के लिए तत्पर है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तत्पर है। आगे उसने यह भी बताया कि आवेदक 30.12.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि पूर्व-परीक्षण स्तर पर आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए, वह किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है, लेकिन वे इस बात से असहमत नहीं हो सके कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 इस मामले में लागू नहीं होती।

4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

5. आवेदक-सुलेखचंद, को मामला अपराध संख्या 696 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 352, 351(3) ,थाना- सदर बाजार, जिला- सहारनपुर में, व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो स्थानीय जमानती प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक समान राशि के लिए संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।

v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

6. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

5 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"